

विषय सूची			
क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.	प्राक्कथन		vii
2.	कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय-1: परिचय			
3.	संगठनात्मक ढाँचा	1.1	2
4.	लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	3
5.	लेखापरीक्षा मानदण्ड	1.3	4
6.	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.4	4
7.	बाधाएं/सीमाएं	1.5	5
8.	प्रतिवेदन की संरचना	1.6	5
अध्याय-2: निर्माण कार्य अधिष्ठानों एवं कर्मकारों का पंजीकरण			
9.	निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण	2.1	7
10.	निर्माण कार्य अधिष्ठानों का कम पंजीकरण	2.1.1	7
11.	निर्माण कार्य अधिष्ठानों के पंजीकरण में विलम्ब	2.1.2	9
12.	निर्माण कार्य अधिष्ठानों का पंजीकरण न होने के कारण राजस्व की हानि	2.1.3	10
13.	निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण	2.2	10
14.	अपात्र लाभार्थियों को सम्मिलित करना	2.2.1	10
15.	वास्तविक निर्माण कर्मकारों को बाहर रखा जाना	2.2.2	11
16.	प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की प्रणाली	2.2.3	12
17.	पंजीकरण सेवाएं	2.2.4	12
18.	लाभार्थियों के डेटाबेस की गुणवत्ता	2.2.5	13
19.	निष्कर्ष	2.3	13
20.	अनुशंसाएँ	2.4	13
अध्याय-3: उपकर संग्रहण, अंतरण एवं निर्धारण			
21.	उपकर संग्रहण	3.1	15
22.	उपकर का संग्रहण न किया जाना	3.1.1	15
23.	उपकर का कम संग्रहण	3.1.2	16
24.	नमूना जाँच किए गए प्रकरणों में उपकर का संग्रहण	3.1.3	16
25.	उपकर की कटौती न किया जाना	3.1.4	17

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
26.	उपकर की गणना हेतु व्यापक एवं अद्यतन दरें अपनाई नहीं गईं	3.1.5	17
27.	विकास प्राधिकरणों द्वारा उपकर के हस्तांतरण में देरी	3.2	18
28.	उपकर निधि का व्यपवर्तन	3.3	19
29.	₹ 1.49 करोड़ की उपकर निधि का सरकारी राजस्व में व्यपवर्तन	3.3.1	19
30.	उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में ₹ 13.80 लाख के उपकर निधि का व्यपवर्तन	3.3.2	20
31.	मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा ₹ 1.76 करोड़ के उपकर निधि का व्यपवर्तन	3.3.3	20
32.	उपकर निर्धारण	3.4	20
33.	निर्धारण अधिकारियों के रूप में कर्तव्यों के पालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन न करना	3.4.1	20
34.	निर्धारण के बाद वसूली	3.4.2	21
35.	निर्माण पूर्ण होने के 05 से 10 वर्ष बाद निर्धारण	3.4.3	22
36.	त्रुटिपूर्ण एवं कम निर्धारण	3.4.4	22
37.	उपकर अभिलेखों का खराब रख-रखाव	3.5	24
38.	निष्कर्ष	3.6	25
39.	अनुशंसाएँ	3.7	26
अध्याय-4: स्वास्थ्य, सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन और निरीक्षण			
40.	निर्माण स्थल पर घटना का होना	4.1	27
41.	कार्यस्थल पर चोट और मृत्यु की स्थिति में घटनाओं की रिपोर्टिंग तथा वित्तीय सहायता का प्रावधान	4.1.1	27
42.	चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में विफलता	4.2	28
43.	निर्माण कार्य अधिष्ठान निरीक्षण	4.3	29
44.	निरीक्षण तंत्र	4.4	29
45.	निर्माण स्थल पर काम की दशाओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदण्डों के अनुपालन का अभाव	4.5	31
46.	निष्कर्ष	4.6	33
47.	अनुशंसाएँ	4.7	34

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
अध्याय-5: कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन			
48.	योजनाओं पर व्यय का विवरण	5.1	35
49.	कल्याणकारी योजनाओं का त्रुटिपूर्ण कार्यान्वयन	5.2	36
50.	विवाह सहायता योजना	5.2.1	36
51.	₹ 7.19 करोड़ का अधिक भुगतान	5.2.1.1	37
52.	पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ प्रदान किया जाना	5.2.1.2	37
53.	लाभ देने में विलम्ब	5.2.1.3	38
54.	मृत्योपरांत सहायता	5.2.2	38
55.	मातृत्व लाभ (प्रसूति योजना)	5.2.3	38
56.	साईकिल योजना	5.2.4	39
57.	टूलकिट योजना	5.2.5	40
58.	राशन किट योजना	5.2.6	41
59.	वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगता पेंशन	5.2.7	43
60.	योजनाओं के कार्यान्वयन में अन्य मुद्दे	5.3	44
61.	भारत सरकार के आदेश के विरुद्ध घरेलू सामान प्रदान किया जाना	5.3.1	44
62.	प्रतिबंध के बाद भी वस्तुओं का वितरण	5.3.1.1	45
63.	डी बी टी ढाँचे का उपयोग किए बिना ₹ 240.82 करोड़ का योजना लाभ प्रदान किया जाना	5.3.2	45
64.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध लाभ	5.3.3	46
65.	निष्कर्ष	5.4	47
66.	अनुशंसाएँ	5.5	47
अध्याय-6: शासन एवं प्रबंधन सम्बन्धी प्रकरण			
67.	उपकर की प्राप्ति एवं व्यय	6.1	49
68.	बजट, लेखा और लेखापरीक्षा	6.2	50
69.	स्वीकृति के बिना बजट का व्यय	6.2.1	50
70.	लेखा-बही का अनुचित रख-रखाव	6.2.2	50
71.	वार्षिक लेखा	6.2.3	51
72.	लेखों की लेखापरीक्षा न कराया जाना	6.2.4	51
73.	सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई	6.2.5	52
74.	अनियमित व्यय	6.3	52

क्र. सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
75.	भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) सर्वेक्षण पर ₹ 28.61 करोड़ का अनियमित व्यय	6.3.1	52
76.	पहचान पत्र पर व्यर्थ व्यय	6.3.2	53
77.	अधिनियम के उद्देश्य के विरुद्ध बनाए गए नियम	6.4	54
78.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के उद्देश्य के साथ नियमों की असंगति	6.4.1	54
79.	अधिनियम के साथ असंगत शासनादेश	6.4.2	55
80.	मानवशक्ति के सीमित संसाधन	6.5	55
81.	अप्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली	6.6	57
82.	गैर-कार्यात्मक समितियाँ	6.7	57
83.	अन्य प्रकरण	6.8	58
84.	कर्मकार सुविधा केंद्र पर अनियमित व्यय	6.8.1	58
85.	अनिवार्य भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन	6.9	60
86.	निष्कर्ष	6.10	62
87.	अनुशंसाएँ	6.11	62

परिशिष्ट			
परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.1	उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	1.1	65
1.2	अभिलेख जो इकाइयों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए	1.5	66
2.1	लेखापरीक्षा द्वारा संचालित 19 अधिष्ठानों की संयुक्त निरीक्षण सूची	2.2.2, 2.2.3, 4.5	67
2.2	देहरादून एवं ऊधम सिंह नगर में वर्ष 2017-22 के दौरान पंजीकृत कर्मकारों के डेटा का विश्लेषण	2.2.5	69
3.1	शून्य आच्छादित क्षेत्रफल वाली स्वीकृत भवन योजनाओं का विवरण	3.1.1	71
3.2	नमूना जाँच किए गए अनुमोदित मानचित्रों की संवीक्षा का विवरण	3.1.3	72

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
3.3	उत्तराखण्ड शासनादेश (दिसम्बर 2016) के अनुसार उपकर की गणना के लिए प्लिंथ क्षेत्रफल दर का विवरण	3.1.5	73
3.4	सरकारी राजस्व में ₹ 1.49 करोड़ की व्यपवर्तित उपकर निधि का विवरण	3.3.1	74
6.1	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों का विवरण	6.5	75
6.2	निर्धारित अवधि में स्थापित न किए गए कर्मकार सुविधा केंद्रों का विवरण	6.8.1(v)	76

